बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संख्या–15/आरोप (भागलपुर) 02–25/2023–.............................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....................................

श्री नवीन भूषण, तत्कालीन अंचल अधिकारी, गोराडीह, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध समाहर्त्ता, भागलपुर के पत्रांक–991/रा0, दिनांक–14.02.2023 द्वारा विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें बिहार सरकारी की भूमि का निजी व्यक्ति के नाम से दाखिल खारिज करने, स्वत्व वाद लंबित रहने के बावजूद इसको दरकिनार करते हुए दाखिल खारिज वाद को स्वीकृत करने, दाखिल खारिज के निष्पादन में अनावश्यक रूप से लंबित रखने तथा जानबुझ कर दाखिल खारिज के मामलों को अस्वीकृत करने जो सरकारी सेवा अधिकार अधिनियम, 2011 का घोर उल्लंघन करने, स्वेच्छाचारित, अनुशासनहीनता एवं कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने जैसे कतिपय आरोप प्रतिवेदित किये गये।

2. आरोप पत्र में अंकित आरोपों के संदर्भ में विभागीय पत्रांक–1300(15), दिनांक–03.07.2023 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री भूषण द्वारा दिनांक–12.07.2023 से स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक–1636(15), दिनांक–30.08.2023 द्वारा समाहर्त्ता, भागलपुर से मंतव्य की मांग की गयी। समाहर्त्ता, भागलपुर के पत्रांक–5086/रा0, दिनांक–25.10.2023 द्वारा अपना मंतव्य विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें अंकित किया गया है कि श्री भूषण द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

3. विभागीय संकल्प सं0–2181(15), दिनांक–20.12.2023 द्वारा श्री भूषण (सेवानिवृत्ति की तिथि–31.12.2022) के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के प्रावधानों के तहत विस्तृत जाँच किये जाने का निर्णय लिया गया। अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री भूषण के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक् जाँच हेतु बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। साथ ही बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत श्री भूषण के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी जिसमें अपर समाहर्त्ता, भागलपुर को संचालन पदाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, भागलपुर को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, भागलपुर के पत्रांक–125/वि0जाँच, दिनांक–08.12.2025 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें लगाये गये पाँच आरोपों में से एक आरोप अंशत प्रमाणित तथा चार आरोप प्रमाणित पाया गया।

5. प्रतिवेदित आरोपों, संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–139 के संगत प्रावधानों के तहत "पेंशन राशि का 05(पाँच) प्रतिशत कटौती का दण्ड" अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

6. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री नवीन भूषण, तत्कालीन अंचल अधिकारी, गोराडीह, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त (**दिनांक–31.12.2022**) के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–139 के संगत प्रावधानों के तहत **"05(पाँच) प्रतिशत पेंशन कटौती का दण्ड"** अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (भागलपुर) 02–25/2023–..............................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..............................

निबंधित
ई–मेल

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/समाहर्त्ता, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर/श्री नवीन भूषण, तत्कालीन अंचल अधिकारी, गोराडीह, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त (**पता–ज्ञानेन्द्र मुखर्जी रोड, भिखनपुर, गुमटी नं0–1, भागलपुर, पिन–812001**) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (भागलपुर) 02–25/2023–.......606.......(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–...28.4.26...

प्रतिलिपिः–~~माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त~~ सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (**मूल प्रति में**)/प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्री नवीन भूषण** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

27.4.26
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

D:\2026_jiten\Dand (Order)_26 Sankalp\Navin bhusan _CO(goradih_bhagalpur)_5 % Pension.doc